

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 137 / 2008

संस्थापित दिनांक 24.03.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

रमेश माटे पुत्र भईयालाल माटे उम्र—
54 साल व्यवसाय ड्रायवरी निवासी
राजामंडी मददी का बाजार किला गेट
ग्वालियर म0प्र0

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::

(आज दिनांक को घोषित किया)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279, एवं धारा 304ए के अपराध के आरोप है कि दिनांक 20/02/08 के 2.30 बजे ग्राम बिरखडी के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर कार क्रमांक एम.पी.07ई.8643 को उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं कार क्रमांक एम.पी.07ई.8643 को उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मोटर सायकल क्रमांक एम.पी.30 बी.ए.6877 को टक्कर मारकर उस पर बैठे मुरारीलाल यादव की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानववद्ध की श्रेणी में नहीं आती ।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 20/2/08 के 02.30 बजे पुलिस थाना गोहद चौराहा में फरियादी ने मय घायल अपने पिता मुरारीलाल यादव उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि वह आज अपनी मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.30बी.ए.6877 से बहन के लिये लडका देखने भिण्ड से ग्वालियर जा रहा था पिता जी मोटर साइकिल पर उसके पीछे बैठे थे वह मोटर साइकिल चला रहा था जैसे ही वह तथा उसके पिता जी बिरखडी गांव के सामने रोड पर करीब 2:30 बजे आये कि सामने से एक सफेद रंग की कार नं.एम.पी.30ई.8643 का चालक कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाइकिल में बगल से टक्कर मार दी । टक्कर से उसके पिता जी गिर गये गिरने से पिता जी के सिर में चोट होकर दोनों

कानों व मुंह से खून निकलने लगा वह बेहोश हो गये फरियादी को चोट नहीं थी वह छिल गया था । चालक कार को भिण्ड की तरफ भगा ले गया मोटर साइकिल की ब्रेक टूट गई मौके पर पड़ी है ।

3. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा अप0क्र0 38/08 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं मृतक का शव परीक्षण कराया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279,304ए के आरोपो की विवेचना की गई आरोपी ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।

5. आरोपी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत प्रतिरक्षा परीक्षा में प्रवेश कराये जाने आरोपी ने बचाव साक्ष्य ना देना व्यक्त किया और अपने बचाव में आरोपी ने यह तर्क दिया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है ।

6. प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने अपने आधिपत्य की कार क्रमांक एम.पी.07ई. 8643 को उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?

2. क्या आरोपी ने अपने आधिपत्य की वाहन कार क्रमांक एम. पी.07ई.8643 को उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मुरारी लाल की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानववध की कोटिमें नहीं आती ?

सकारण निष्कर्ष

7. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अजय सिंह आ0सा01, संदीप जैन आ0सा02, गिराज शर्मा आ0सा03, डॉ0जी0आर0शाक्य आ0सा04, आर0के0शर्मा आ0सा05 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है ।

8. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु दोनों विचारणीय बिन्दुओं की विवेचना एक साथ की जा रही है ।

9. अजयसिंह अ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट

लेखबद्ध कराई है इस साक्षी का कहना है कि दिनांक 20/02/ 2008 को वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-030-6877 से ग्वालियर बहन के लिए लडका देखने के लिए जा रहा था जैसे ही बिरखडी गांव के पास पहुंचा तो सामने से एक सफेद रंग की कार क्रमांक एम0पी0 07 ई 8643 ने लापरवाही से आकर अपनी साइड पर मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके पिता को गंभरी चोटें आई व उसके पिता नाक, कान व मुँह से खून निकलने लगा कुछ सेकण्ड के लिए कार वाला रुका था। फिर घटना की सूचना उसने पुलिस को दी थी पुलिस ने उसका पिता को लेकर अस्पताल में इलाज कराया था उसने घटना की रिपोर्ट गोहद चौराहा थाने पर की थी जो प्र0पी-1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी-2 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है । साक्षी ने हडबडाहट में गाडी का नंबर एम0पी0-30ई 8643 लिखा दिया था जो गलत था गाडी का सही नंबर एम0पी0 07-ई 8643 है। उसके संबंध में एक आवेदन मय शपथपत्र का दिया जो प्र0पी03 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

10. प्रकरण में साक्षी के द्वारा घटित दुर्घटना का समर्थन किया है लेकिन साक्षी वाहन चालक की पहचान संदेह से परे प्रमाणित नहीं की है साक्षी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट कार का नम्बर एम.पी.30ई 8643 लिखाया है इसके पश्चात साक्षी ने पुनः शपथपत्र प्रस्तुत कर यह कथन दिया हैकि गाडी का सही नं.एम.पी.07ई.8643 है जिसके संबंध में साक्षी ने कहा हैकि वह हडवहाड मे कार का नम्बर गलत लिखा दिया था क्योंकि सारी रिपोर्ट सही है कार का नम्बर हडवहाड मे लिखाया गया था ऐसी साक्षी के कथनो से दर्शित नहीं होता है। इस तरह साक्षी के द्वारा पुनः शपथपत्र प्रस्तुत कर नम्बर बदलने का जो कथन दिया है वह घटना को पूर्णतः संदिग्ध बना देता है साक्षी के कथनो से वाहन चालक की पहचान भी संदेह से परे सुनिश्चित नहीं होती है।

11. संदीप जैन आ0सा02 यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है इसका कहना हैकि घटना वर्ष 2008 की है तथा 20 फरवरी की है वह भिण्ड से बस से आ रहा था बिरखडी के पास किसी वैगनार गाडी ने एक्सीडेंट कर दिया था गाडी का चालक गाडी को तेज गति से चला रहा था और एक्सीडेंट के बाद गाडी को लेकर भाग गया था तथा गाडी रुकने पर एम्बूलेस के माध्यम से आहत को ग्वालियर ले गये थे शेष घटना कम से साक्षी ने अनभिज्ञता जाहिर की है साक्षी के कथनों से मात्र दुर्घटना का समर्थन होता है साक्षी के द्वारा न तो वाहन चालक की शिनाख्ती को स्पष्ट किया है न ही दुर्घटना वाले वाहन का नम्बर बताया गया है साक्षी के कथनो से अभियोजन को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता है।

12. गिर्राज शर्मा आ0सा03 यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है इसका कहना हैकि घटना-स्थल पर पूर्व मे उसका होटल था होटल के

करीब आधा किलो मीटर आगे बिरखडी के करीब एक्सीडेंट हुआ था जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वह मोटरसाइकिल से था शेष घटनाक्रम से साक्षी ने अनभिज्ञता जाहिर की है साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर करीब 15 मिनट बाद पहुंचा था उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ नहीं पहुंचता है।

13. डॉ०जी०आर०शाक्य आ०सा०४ का कहना है कि दिनांक 20/2/08 को सी०एच०सी०गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को उसने आहत मुरारीलाल यादव का मेडीकल परीक्षण किया था आहत को बेचेनी हो रही थी व उल्टियाँ हो रही थी वह बेहोशी हालत में था बाये कॉन से खून निकल रहा था तथा बाई नॉक से भी खून निकल रहा था उसकी हालत को गंभीर देखते हुये न्यूरोलॉजी विभाग ग्वालियर को रेफर कर दिया था जिसकी रिपोर्ट तैयार की जो प्र०पी०४ की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों से इस तथ्य का समर्थन होता है कि दुर्घटना दिनांक को आहत के शरीर पर चोट मौजूद थी।

14. आर०के०शर्मा आ०सा०५ का कहना है कि दिनांक 14/3/08 को थाना गोहद चौराहा पर सहा०उप०निरीक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को [अप०क०३८/०८](#) धारा 279,337 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी विवेचना के दौरान उसने अजय प्रताप सिंह,संदीप जैन,दुर्गेशसिंह,मलजीत के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को ही अजय सिंह द्वारा एक आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रकरण में पेश किया था जो उसने डायरी में संलग्न किया गया है तथा दिनांक 19/3/08 को आरोपी रमेश माठे पुत्र भईयालाल माठे को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०६ का तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं गोहद चौराहा बस स्टैण्ड से एक मारुति बैगनार सफेद रंग की एम.पी.०७ई.८६४३ एवं ड्रायविंग लाईसेंस रमेश माठे से जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया जो प्र०पी०७ का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. साक्षी आर०के०शर्मा आ०सा०५ के द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि फरियादी अजय के द्वारा मय शपथपत्र के जो आवेदन पेश किया था उसे उसने आमद नहीं किया था उसके पहले विवेचना विनय कुमार दीक्षित प्र०आर० के द्वारा की गई थी उसके द्वारा एफ०आई०आर के मुताबिक विवेचना नहीं की है उसे विवेचना का लिखित में आदेश प्राप्त नहीं हुआ था विवेचना हेतु मौखिक रूप से उसे आदेश प्राप्त हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि एफ०आई०आर में गाडी का न.एम.पी.३०.८६४३ लिखा गया है जो फरियादी के अनुसार ही लिखा गया था साक्षी ने यह भी स्वीकार किया जब विवेचना एक अधिकारी

से दूसरे अधिकारी पर जाती है तो उसका इन्द्राज रोजनामचा में किया जाता है और उसने रोज नामचा की नकल प्रकरण में संलग्न नहीं की है। थाना प्रभारी द्वारा एक विवेचक से विवेचना दूसरे विवेचक कैसे दी गई इसकी उसे जानकारी नहीं है। इस तरह प्रतिपरीक्षण में साक्ष के कथन पूर्णतः संदेह जनक पाये गये साक्षी के द्वारा किया गया अनुसंधान ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर की है। अगर साक्षी घटना की जांच निष्पक्ष तरीके से करता तो हो सकता है कि दुर्घटना के समय किस वाहन द्वारा दुर्घटना कारित की गई उसका सही नम्बर क्या था इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है। साक्षी के द्वारा की गई विवेचना संदेहजनक पाई गई।

16. प्रकरण में फरियादी अजय आ0सा01, के कथन संदेह जनक पाये गये। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी संदीप जैन आ0सा02, गिराज शर्मा आ0सा03, के कथनों से घटित घटना का समर्थन नहीं होता है अनुसंधानकर्ता आर0के0शर्मा आ0सा05, के द्वारा की गई विवेचना संदेहजनक पाई गई। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोपित आरोप वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित न होने के कारण व वाहन का नम्बर संदेहजनक होने के कारण आरोपी पर आरोपित आरोप पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये।

17. प्रकरण में भा.द.वि.की धारा 279, 304-ए के आरोपित आरोप पूर्णतः अप्रमाणित है। अतः आरोपी को संदेह का लाभ देते हुये उक्त आरोपित आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

18. प्रकरण मे जप्तशुदा मारुति वैगनार कमांक एम.पी. 07ई.8643 पूर्व से नीरज कुमार की सुर्पुदगी मे है अतः सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात स्वमेव निरस्त माना जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार सम्पत्ति निराकृत की जाये।

19. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

एस0डी /
जे0एम0एफ0सी0गोहद

एस0डी0 /
जे0एम0एफ0सी0गोहद

6 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 137 / 2008